N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

# FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

## (प्रथम सूचना रिपोर्ट )
## अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0015 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 28/01/2025 16:52 बजे

| S.No. (क्र.सं.) | Acts (अधिनियम) | Sections (धाराएँ) |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 7 |

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1. **Day(दिन):** शनिवार **Date From (दिनांक से):** 29/06/2024 **Date To (दिनांक तक):** 29/06/2024

**Time Period (समय अवधि):** पहर **Time From (समय से):** 15:30 बजे **Time To (समय तक):** 19:30 बजे

(b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 28/01/2025 **Time (समय):** 15:00 बजे

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 002 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 28/01/2025 16:52:39 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** SOUTH, 06 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

(b) **Address(पता):** BHAWANI TOP CIRCLE KE KORNAR PAR BANI HUEI EK PAN KI DUKAN, ALWAR

(c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

**Name of P.S (थाना का नाम):** **District(State) (जिला (राज्य) ):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** ATUL SINGH

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** MUKESH SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 2000 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**
**Date of Issue (जारी करने की तिथि):** **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण( राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):**

| S.No. | Id Type | Id Number |
|---|---|---|
| | | |

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

| S.No. (क्र. सं.) | Address Type (पता का प्रकार) | Address (पता) |
|---|---|---|
| 1 | वर्तमान पता | GRAM BILOD, KAMAN, डीग, RAJASTHAN, INDIA |
| 2 | स्थायी पता | GRAM BILOD, KAMAN, डीग, RAJASTHAN, INDIA |

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

**Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):**

| S.No. (क्र.सं.) | Name (नाम) | Alias (उपनाम) | Relative's Name (रिश्तेदार का नाम) | Address (पता) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NAVRATAN BARAMAN | | पिता:NAWAL KISHOR | 1. GRAM -V-POST SAKAT,RAJGARH,ALWAR,RAJASTHAN,INDIA |

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण( यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

| S.No. (क्र.सं.) | Property Category (सम्पत्ति श्रेणी) | Property Type (सम्पत्ति के प्रकार) | Description (विवरण) | Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में)) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | सिक्के और मुद्रा | रुपये | | 10,000.00 |

10. **Total value of property stolen(In Rs/-)**
**(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में) ):** 10,000.00

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):**

| S.No. (क्र.सं.) | UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या) |
|---|---|

12. **First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)**
**(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):**

मुकदमा हालात इस प्रकार है कि दिनांक 29.06.2024 को मन उप अधीक्षक पुलिस, महेन्द्र कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों, अलवर प्रथम, अलवर के समक्ष ब्यूरों कार्यालय अलवर में परिवादी श्री अतुल सिंह पुत्र श्री मुकेश सिंह, जाति राजपूत, उम्र 25 साल, निवासी ग्राम बिलोद, तहसील व थाना कॉमा, जिला डीग मय अपने दोस्त श्री अवधेश चौहान पुत्र श्री महिपाल सिंह, जाति राजपूत, उम्र 27 साल, निवासी राजपूत मौहल्ला, वार्ड नं0 11, खेडलीरेल, तहसील कठूमर, पुलिस थाना खेडली, जिला अलवर के उपस्थित होकर परिवादी श्री अतुल सिंह द्वारा एक लिखित प्रार्थना पत्र मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किया। जिसका मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा अवलोकन किया जाकर उक्त प्रार्थना पत्र को परिवादी अतुल सिंह व परिवादी के दोस्त श्री अवधेश चौहान को पढकर सुनाया गया तथा परिवादी श्री अतुल सिंह व परविदी के दोस्त श्री अवधेश चौहान से दरियाफ्त की गई तो परिवादी श्री अतुल सिंह ने ब्यूरों में प्रस्तुत उक्त लिखित प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि दिनांक 24.06.2024 को मेरे दोस्त जतिन व दाऊ का झगडा किसी के साथ हो गया था। दिनांक 25.06.2024 को मैं मेरे सब्जी के ठेले पर नया बास पर सब्जी बेच रहा था मेरे पास मेरा दोस्त जतिन व सुक्खु खडे थे समय करीब 4-5 पी0एम0 पर मनीष मीणा निवासी अलवर अपने कुछ लोगों का साथ लेकर वहा पर आये और हमारे साथ मारपीट करने लग गये, हम लोग डर के मारे वहा से भाग गये। हमारे साथ मारपीट करने वाले श्री मनीष मीणा ने पुलिस थाना अरावली में इस लडाई की शिकायत दर्ज करवा दी। उक्त शिकायत की जॉच श्री नवरतन ए0एस0आई0 कर रहे है। उक्त शिकायत पर मेरे दोस्त जतिन को थाने पर बुलाकर ए0एस0आई0 साहब ने आपस में समझोता करवा दिया था। इसके बाद दिनांक 26.06.2024 को मेरे पास मेरे मोबाईल नं0 [redacted] पर मोबाईल नं0 [redacted] से फोन आया और मुझसे कहा कि मैं पुलिस थाना अरावली विहार से नवरतन ए0एस0आई0 बोल रहा हूँ। मेरे पास तुम्हारी और सुक्खु की लडाई झगडा करने की शिकायत आई है। तुम दोनों थाने पर आ जाओ नही तो मैं तुम्हे उठाकर बन्द कर दूंगा। मैंने ए0एस0आई0 साहब को बताया कि मैं आज अलवर नही हूँ, कल आपसे मिलता हूँ। इस पर ए0एस0आई0 साहब ने मुझे धमकाया और कहा कि तुम दोनों के खिलाफ कार्यवाही करूंगा और तुम दोनों को एस0टी/एससी एक्ट में जेल में डलवाउंगा या तो कल 10 बजे तक 10 हजार रू0 लेकर आ जाना नही तो तेरी ऐसी-तैसी कर दूंगा और तु अपने साथ अपने दोस्त अवधेश को भी लेकर आना तथा सुक्खु से मैं अपने आप बात कर लूंगा। यदि तु मेरे पास कल तक नही आया तो मैं तुझे उठाकर लाउंगा और बन्द कर दूंगा। मैं श्री नवरतन ए0एस0आई0 को रिश्वत नही देना चाहता हूँ और उसे 10 हजार रू0 रिश्वत के लेते हुये रंगे हाथ पकडवाना चाहता हूँ। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरी व मेरे दोस्त अवधेश चौहान की श्री नवरतन, ए0एस0आई0, पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर से कोई रजिंश या दुश्मनी नही है तथा कोई उधार लेन-देन भी बकाया नही है। परिवादी श्री अतुल सिंह ने उक्त प्रार्थना पत्र स्वयं द्वारा लिखा जाना तथा उक्त प्रार्थना पत्र पर स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। दौराने पूछताछ परिवादी श्री अतुल सिंह द्वारा अपनी पहचान स्वरूप पेश किये गये अपने आधार कार्ड की स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित छायाप्रति को बाद अवलोकन संलग्न पत्रावली किया गया। परिवादी श्री अतुल सिंह ने उसके खिलाफ पुलिस थाना अरावली विहार में दर्ज शिकायत के सम्बन्ध में श्री नवरतन ए0एस0आई0 पुलिस थाना अरावली विहार से दिनांक 28.06.2024 को पूर्व में अपने दोस्त श्री अवधेश चौहान को मिलना तथा अपने दोस्त अवधेश चौहान से भी रिश्वत की मांग करना तथा अवधेश चौहान को मुझे थाने पर लेकर आने के लिये कहा गया है और वह मेरे से अपने दोस्त अवधेश चौहान के साथ ही मेरे से थाने पर मिलेगा और रिश्वत की बातचीत करेगा। इसलिए उक्त कार्यवाही में अपने साथ आये, अपने दोस्त श्री अवधेश चौहान को भी साथ रहने के लिये बताया। तत्पश्चात परिवादी के साथ आये उसके दोस्त श्री अवधेश चौहान ने दरियाफ्त पर उक्त तथ्यों की ताईद करते हुये उक्त प्रार्थना पत्र अपने दोस्त अतुल सिंह द्वारा लिखा जाना बताया तथा परिवादी के साथ उपस्थित श्री अवधेश चौहान से कार्यवाही में परिवादी श्री अतुल सिंह के साथ रहने की सहमती प्राप्त कर परिवादी श्री अतुल सिंह द्वारा प्रस्तुत लिखित प्रार्थना पत्र पर श्री अवधेश चौहान के भी हस्ताक्षर करवाये गये। परिवादी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त प्रार्थना पत्र एवं की गई मजीद पूछताछ से मामला रिश्वत के लेन-देन का पाया गया। दिनांक 29.06.2024 वक्त करीब 4.30 पीएम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने कार्यालय की अलमारी से श्री रामजीत कानि0 206 से विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर निकलवाकर उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर में नया एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगाकर परिवादी श्री अतुल सिंह व परिवादी के दोस्त श्री अवधेश चौहान को चलाने व बन्द करने की

विधी समझाकर परिवादीगण के समक्ष श्री रामजीत कानि0 206 को सुपुर्द किया जाकर परिवादीगण को हिदायत दी गई कि वह श्री नवरतन, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर के पास जाकर,परिवादी श्री अतुल सिंह व अन्य के खिलाफ पुलिस थाना अरावली विहार में दर्ज मारपीट व लडाई झगडे की शिकायत में बन्द नही करने के क्रम में श्री नवरतन सहायक उप निरीक्षक द्वारा रिश्वत मांग किये जाने के सम्बन्ध में वार्ता करे तथा श्री नवरतन सहायक उप निरीक्षक से हुई वार्ता को ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर मन उप अधीक्षक पुलिस को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर प्रस्तुत करें, साथ ही श्री रामजीत कानि0 206 को परिवादीगण के साथ रिश्वत मांग सत्यापन हेतु जाने के निर्देष कर हिदायत दी गई की वह रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादी श्री अतुल सिंह को ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चालू कर सुपुर्द कर परिवादीगण को रिश्वत मांग सत्यापन हेतु संदिग्ध आरोपी के पास भेजे तथा परिवादीगण के साथ आसपास रहकर परिवादीगण व संदिग्ध आरोपी को आपस में वार्ता करते हुये देखे तथा संभव हो तो उक्त के मध्य हुई वार्ता को सुनने का प्रयास करे। कानि0 को यह भी हिदायत दी गई रिश्वत मांग सत्यापन के तथ्यों से मन उप अधीक्षक पुलिस को जरिये मोबाईल अवगत करावे। परिवादीगण व कानि0 को रिश्वत मांग सत्यापन के लिये रवाना किया गया। वक्त करीब 8.15 पी. एम पर रिश्वत मांग सत्यापन हेतु परिवादीगण के हमराह गया हुआ श्री रामजीत कानि0 206 मय परिवादी श्री अतुल सिंह व श्री अवधेश चौहान के ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आया तथा श्री रामजीत कानि0 206 ने रिश्वत मांग सत्यापन की वार्ताओं का रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को प्रस्तुत किया। तत्पश्चात परिवादी श्री अतुल सिंह ने बताया कि मैं, मेरा दोस्त अवधेश चौहान आपके कर्मचारी श्री रामजीत कानि0 206 के साथ आपके कार्यालय से रवाना होकर पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर के नजदीक पहुंचे, जहां पर अवधेश चौहान ने अपने मोबाईल [redacted] से श्री नवरतन ए0एस0आई0 पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर के मोबाईल नं0 [redacted] पर कॉल कर मिलने के लिए वार्ता की तो श्री नवरतन ए0एस0आई0 ने भवानी तोप सर्किल पर पान की दुकान पर मिलने के लिये कहा, जिस पर हम थाने के पास से रवाना होकर भवानी तोप सर्किल अलवर पर पहुंचे, जहां पर श्री रामजीत कानि0 206 ने समय करीब 07.30 पी0एम0 पर ब्यूरों का डिजिटल वाईस रिकार्डर चॉलू कर मुझे सुपुर्द किया, जिसको अपने साथ लेकर मैं व अवधेश चौहान रेल्वे स्टेशन से कटीघाटी की तरफ जाने वाले रोड पर भवानी तोप सर्किल के कोर्नर पर बनी हुई एक पान की दुकान पर गये, जहा पर हमें श्री नवरतन ए0एस0आई0 पूर्व से ही बैठा हुआ मौजूद मिला। जिससे मैंने व मेरे दोस्त अवधेश चौहान ने पुलिस थाना अरावली विहार अलवर में मेरे व मेरे दोस्त सुक्खु के खिलाफ दर्ज शिकायत में हमारे खिलाफ कार्यवाही नही करने एवं थाने में बन्द नही करने के सम्बन्ध में बातचीत की तो श्री नवरतन, ए0एस0आई0 पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर ने हमारे से 10 हजार रू0 रिश्वत की मांग की और रिश्वत राशी दिनांक 01.07.2024 वार सोमवार मेरे दोस्त अवधेश चौहान से प्राप्त करने के लिये सहमत हो गया है। मेरे व मेरे दोस्त अवधेश चौहान एवं संदिग्ध आरोपी श्री नवरतन, ए0एस0आई0 के मध्य हुई सभी वार्तालाप को मैंने ब्यूरों के डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्ड कर लिया तत्पश्चात मैं व अवधेश चौहान श्री रामजीत कानि0 206 के पास आकर मैंने अपने पास से चालू हालत में ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकार्डर श्री रामजीत कानि0 को दे दिया और रामजीत कानि0 ने उक्त डिजिटल वाईस रिकार्डर को बन्द कर सुरक्षित अपने पास रख लिया था। परिवादी द्वारा बताये उक्त तथ्यों की पूछने पर परिवादी के दोस्त श्री अवधेश चौहान एवं श्री रामजीत कानि0 206 द्वारा भी ताईद की गई। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा श्री रामजीत कानि0 206 द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन की रिकार्डरषुदा वार्ताओं के प्रस्तुत डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू कर सुना गया तो परिवादी श्री अतुल सिंह द्वारा बताये गये कथनों की ताईद हुई तथा परिवादी, परिवादी के दोस्त अवधेश चौहान व संदिग्ध आरोपी श्री नवरतन ए0एस0आई0 पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर के मध्य रिश्वत मांग सम्बन्धी वार्तालाप रिकार्ड होना तथा संदिग्ध आरोपी श्री नवरतन, ए0एस0आई0 द्वारा परिवादीगण से 10 हजार रू0 रिश्वत की मांग करना तथा परिवादीगण को रिश्वत राशी लेकर दिनांक 01.07.2024 वार सोमवार को थाने पर आने के लिए कहना पाया गया। तत्पश्चात मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा उक्त वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को अपने पास कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखा गया। तत्पश्चात दिनांक 29.06.2024 को वक्त करीब 09.00 पी.एम पर परिवादी श्री अतुल सिंह एवं श्री अवधेश चौहान को संदिग्ध आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 10000/-रूपये लेकर अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 01.07.2024 को समय 09.00 ए0एम0 पर ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित होने एवं गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर ब्यूरों कार्यालय से रवाना किया गया। इसके बाद दिनांक 01.07.2024 को वक्त करीब 09.00 ए.एम पर परिवादी श्री अतुल सिंह एवं श्री अवधेश चौहान, मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये तथा परिवादी श्री अतुल सिंह ने संदिग्ध आरोपी श्री नवरतन, ए0एस0आई0 पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशी 10000/-रूपये अपने साथ लेकर आना बताया। तत्पश्चात दोनों परिवादीगण को कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 9.15 ए.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर को पत्र जारी कर दो सरकारी कर्मचारी ब्यूरों की गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह हेतु पाबन्द कर अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में भिजवाने हेतु अवगत करवाया गया। इसके बाद वक्त करीब 9.30 ए.एम पर पाबन्दषुदा गवाहान श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक, वृत्त-स, वाणिज्यिक, कर विभाग, अलवर एवं श्री लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक, वृत्त-स, वाणिज्यिक, कर

विभाग, अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान का आपसी परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री अतुल सिंह एवं परिवादी के दोस्त श्री अवधेश चौहान से करवाया गया तथा उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री अतुल सिंह द्वारा दिनांक 29.06.2024 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री अतुल सिंह द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। इसके बाद वक्त करीब 9.50 ए.एम पर गवाह श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्री लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री अतुल सिंह, परिवादी के दोस्त श्री अवधेश चौहान के समक्ष परिवादी, परिवादी के दोस्त श्री अवधेश चौहान एवं संदिग्ध आरोपी श्री नवरतन, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर के मध्य दिनांक 29.06.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी का लॉक खोलकर बाहर निकालकर उसे विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर उक्त में रिकार्डशुदा वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट श्री रामजीत कानि0 206 से टाईप करवाकर तैयार की गई। उपरोक्त वार्ताओं में परिवादी एवं परिवादी के दोस्त श्री अवधेश चौहान द्वारा अपनी-अपनी आवाज की व संदिग्ध आरोपी श्री नवरतन, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर की आवाज की पहचान की गई। उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की परिवादीगण के बताये अनुसार हिन्दी रूपान्तरण किया गया तथा उक्त सभी रूपान्तरण वार्तालाप की संबंधित वॉईस क्लिप से मिलान किया गया तथा वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी व परिवादी के दोस्त श्री अवधेश चौहान ने सही होना स्वीकार किया। वार्ता की डीवीडी बनवाने हेतु तीन खाली डीवीडी मंगवायी जाकर तीनों को खाली होना सुनिश्चित कर डिजिटल वाईस रिकार्डर में रिकॉर्डशुदा उक्त वार्ताओं की लैपटॉप की सहायता से बारी-बारी से तीन डीवीडी तैयार की जाकर, बाद मिलान सही होना सुनिश्चित कर क्रमषः तीनों डीवीडीयों पर मार्क "A-1", मार्क "A-2" एवं मार्क "A-3" अंकित कर दोनों गवाहान तथा परिवादी श्री अतुल सिंह व परिवादी के दोस्त श्री अवधेश चौहान के हस्ताक्षर करवाकर डीवीडी मार्क "A-1" व मार्क " A-2" को पृथक-पृथक प्लास्टिक के डीवीडी कवर में सुरक्षित रखकर दोनों को सफेद कपडे़ की थैलीयों में पृथक-पृथक सील मुहर किया जाकर कपड़े की थैलीयों पर भी मार्क "A-1" व मार्क "A-2" अंकित कर गवाहान एवं परिवादी व परिवादी के दोस्त के हस्ताक्षर करवाकर कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया तथा मार्क "A-3" को अनुसंधान हेतु शामिल पत्रावली किया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर के एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB में रिकॉर्ड शुदा उक्त वार्ताओं की जो डीवीडी बनाई गई है उनमें किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छाट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द ट्रांसक्रिप्ट एवं जब्ती डीवीडी रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 01.07.2024 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा सिल्डषुदा डीवीडी मार्क A-1 व A-2 को मालखाना प्रभारी श्री हरीश चन्द शर्मा, कानि0 503 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 11.45 ए.एम पर गवाह श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्री लोकेश वर्मा, वरिष्ठ सहायक के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादीगण को संदिग्द आरोपी श्री नवरतन, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिये कहा तो परिवादी श्री अतुल सिंह ने अपने दोस्त श्री अवधेश चौहान के समक्ष अपने पास से 20 नोट 500-500 रूपये के कुल 10000/-रूपये निकाल कर मन् उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम, अलवर को पेश किया। उक्त नोटों के नम्बरों का विवरण फर्द सुपुर्दगी नोट में अंकित करवाया जाकर उक्त नोटों के नम्बर मन् उप अधीक्षक पुलिस एवं उपरोक्त गवाहान के द्वारा पुनः चैक किये गये तो नोटां के नम्बरों का मिलान सही होना पाया गया। श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 से कार्यालय की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी निकलवायी गयी तथा कार्यालय की एक टेबल पर एक साफ अखबार बिछवाया जाकर उस अखबार पर उक्त 10,000/-रूपये के नोटो को रखकर उक्त नोटों पर श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 से फिनोफ्थलीन पाऊडर लगवाया गया। परिवादी श्री अतुल सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री मनोज कुमार से लिवायी गयी तो परिवादी के पास कोई भी दस्तावेज/राशि/वस्तु नही रहने दी गयी। केवल उसका मोबाईल ही रहने दिया गया। उक्त फिनोफ्थलीन पाऊडर युक्त नम्बरी नोट 10,000/- रूपये श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 से परिवादी श्री अतुल सिंह की पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रखवाये गये। श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 से फिनोफ्थलीन पाऊडर की शीशी कार्यालय की आलमारी में वापस रखवायी गयी तथा जिस अखबार पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पॉउडर लगाया गया था, उस अखबार को जलवाया गया। उसके पश्चात एक नया फ्रेष डिस्पोजल गिलास में श्री भास्कर हैड कानि0 59 से साफ पानी मंगवाया जाकर उसमें सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया जाकर उक्त घोल में श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 की फिनोफ्थलीन युक्त हाथ की अगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गहरा गुलाबी हो गया जिस पर परिवादी श्री अतुल सिंह, श्री अवधेश चौहान व दोनों गवाहान को समझाया गया कि यदि आरोपी उक्त पाऊडर लगे नोटां को छुयेगा तो उसके हाथां में फिनोफ्थलीन पाऊडर लग जावेगा और इसी प्रकार तैयार किये गये घोल में उसके हाथ धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी या हल्का गुलाबी हो जायेगा जिससे यह साबित होगा कि उसने रिश्वती राशि को अपने हाथां से प्राप्त किया है। इसके बाद उक्त गिलास के गुलाबी घोल को बाहर फिकवाया गया तथा डिस्पोजल गिलास को जलवाकर नष्ट करवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अतुल सिंह व श्री अवधेश चौहान को हिदायत दी गयी कि वह रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेर कर

या मन उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल/कॉल कर ट्रेप पार्टी को गोपनीय ईशारा करें, इसके पश्चात गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के साथ या आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाली वार्तालाप को सुनने व रिश्वत के लेन-देन को देखने का प्रयास करें। तत्पश्चात श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 के दोनों हाथों को साबुन एवं साफ पानी से धुलवाये गये। इसके बाद परिवादीगण, गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये, मैनें भी अपने हाथ साफ पानी व साबुन से धोये तथा ट्रेपबाक्स में रखी खाली शीशीयां मय ढक्कन, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाया गया। तत्पश्चात परिवादी श्री अतुल सिंह को रिश्वत राशी लेन-देन के समय आरोपी से होने वाली वार्तालाप को रिकॉर्ड करने हेतु विभागीय डिजिटल वाईस रिकॉर्डर जिसमें दिनांक 29.06.2024 की रिश्वत मांग सत्यापन के समय की रिकार्डशुदा वार्ताओं का एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB लगा हुआ है, को चालू व बंद करने की विधि समझाकर परिवादी श्री अतुल सिंह की शर्ट की सामने की बांयी जेब में रखकर सुपुर्द किया गया तथा श्री रामजीत कानि0 206 को आवष्यक हिदायत दी गई कि उक्त परिवादीगण को रिश्वत राशी सहित आरोपी के पास भिजवाते समय उसको ब्यूरों के उक्त डिजिटल वाईस रिकॉर्डर को चालू करके ही रवाना करे। जिसकी पृथक से फर्द पेशकशी एवं सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थैलीन पॉउडर एवं सोडियम कार्बोनेट तथा सुपुर्दगी डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर दिनांक 01.07.2024 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। तत्पश्चात परिवादी श्री अतुल सिंह व श्री अवधेश चौहान ने दोनों स्वतन्त्र गवाहान श्री मनोज कुमार व श्री लोकेश कुमार वर्मा के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को बताया कि उनका जानकार पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर गया है, जिसने श्री नवरतन, ए0एस0आई0 के बारे में थाने पर गोपनीय रूप से जानकारी की तो श्री नवरतन, ए0एस0आई0 पुलिस थाने पर मौजूद नही है तथा बाहर जाना ज्ञात हुआ है। परिवादी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने श्री अवधेश चौहान के मोबाईल से संदिग्ध आरोपी के मोबाईल नं0 पर कॉल करवाया गया तो संदिग्ध आरोपी ने परिवादी का कॉल नही उठाया, जिस पर आरोपी का परिवादी के पास कॉल आने का कार्यालय में रहकर ही इन्तजार करने लगा। तत्पश्चात समय 05.30 पी0एम0 पर परिवादी ने बताया कि अभी तक आरोपी ए0एस0आई0 पुलिस थाने पर नही आया है तथा उसके थाने पर आने के बारे में कोई जानकारी ज्ञात नही हो पा रही है। मन उप अधीक्षक पुलिस ने पुनः श्री अवधेश चौहान के मोबाईल से संदिग्ध आरोपी के मोबाईल नं0 पर कॉल करवाया गया तो संदिग्ध आरोपी ने परिवादी का कॉल नही उठाया और परिवादी श्री अतुल सिंह ने बताया कि आज शाम को श्री अवधेश चौहान के घर पर मेहमान आये हुये है, जो शाम को अपने घर जायेगें इसलिए अब उनको घर जाना जरूरी है । पर मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा दिनांक 02.07.2024 को ट्रेप कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 6.00 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस को दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अतुल सिंह एवं श्री अवधेश चौहान द्वारा यह बताया गया कि उनको जरूरी कार्य से अभी गॉव जाना है। इसलिए कल दिनांक 02.07.2024 को प्रातः रिश्वत राशी देने हेतु नवरतन, ए0एस0आई0 के पास थाने पर जायेगें। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अतुल सिंह की पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रखी हुई पाऊडर युक्त राशी 10,000 रूपये को श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 से निकलवाकर उक्त राशी को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर, कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखवाई गई तथा साथ ही पूर्व का सुपुर्दषुदा ब्यूरो का डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर अपने पास सुरक्षित रखा गया। परिवादी श्री अतुल सिंह एवं श्री अवधेश चौहान को दिनांक 02.07.2024 को समय 09.00 ए0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने एवं गोपनीयता रखने की हिदायत देकर ब्यूरो कार्यालय से रवाना किया गया तथा साथ ही दोनों स्वतन्त्र गवाहान को भी दिनांक 02.07.2024 को समय 09.00 ए0एम0 पर ब्यूरो कार्यालय में उपस्थित आने एवं गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत देकर रवाना किया गया। तत्पश्चात दिनांक 02.07.2024 को वक्त करीब 9.30 ए.एम पर परिवादी श्री अतुल सिंह ने जरिये वाट्सएप कॉल कर मन पुलिस उप अधीक्षक को बताया कि मैनें मालूम करवाया है कि आरोपी नवरतन एएसआई पुलिस थाना अरावली विहार पर उपस्थित नहीं है। वह 5-6 दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। बाहर सरकारी काम से गया है या अवकाश पर गया है ये मालूम नहीं है। आरोपी नवरतन एएसआई पुलिस थाना अरावली विहार पर उपस्थित होने पर मैं आपसे सम्पर्क कर लुंगा। जिस पर परिवादी को फोन पर ही आरोपी के थाने पर उपस्थित आने की जानकारी कर या आरोपी के फोन आने पर तुरन्त कार्यालय आने की हिदायत दी गई। इसके बाद दिनांक 13.12.2024 को वक्त करीब 3.30 पी.एम पर परिवादी श्री अतुल सिंह अपने दोस्त अवधेश चौहान के हमराह उपस्थित कार्यालय आया एवं मेरे समक्ष उपस्थित होकर बताया कि मेरी स्वयं की शादी का प्रोग्राम होने के कारण मैं व मेरा दोस्त अवधेश आज दिनांक तक आपके कार्यालय में उपस्थित नही हो पाये। हमारे पास आज दिनांक तक आरोपी नवरतन ए0एस0आई0 पुलिस थाना अरावली विहार अलवर का रिश्वत राशि के लिए फोन नहीं आया है ना ही हमसे मिला है। हमने नवरतन एएसआई के बारे में जानकारी करने पर उसका स्थानान्तरण पुलिस लाईन अलवर में हो जाना बताया है। अब आरोपी नवरतन एएसआई हमसे कोई रिश्वत की मांग नहीं कर रहा है, उन्हें शक हो गया कि उनके खिलाफ एसीबी कार्यालय द्वारा कार्यवाही की जा रही है, अब उनका स्थानान्तरण पुलिस लाईन अलवर में हो गया है जिससे वह आरोपी नवरतन एएसआई मुझसे रिश्वत राशी नहीं लेगा, और ना ही मेरे खिलाफ कार्यवाही करेगा। अतः मेरी 10,000/-रूपये की राशी को वापस लोटाया जावे, इस संबंध में परिवादी श्री अतुल सिंह द्वारा अपने हस्ताक्षरों से लिखित प्रार्थना पत्र पेश किया, जिस पर

परिवादी श्री अतुल सिंह व उसके दोस्त अवधेश चौहान को कार्यालय में बैठाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 3.40 पी.एम पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने वाणिज्यिक कर अधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर को जरिये दूरभाष दो सरकारी कर्मचारी ब्यूरों की गोपनीय ट्रेप कार्यवाही में स्वतन्त्र गवाह हेतु पाबन्द कर अविलम्ब ब्यूरों कार्यालय में भिजवाने हेतु अवगत करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 3.50 पी.एम पाबन्दषुदा गवाहान श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक, वृत्त-स, वाणिज्यिक, कर विभाग, अलवर एवं श्री लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक, वृत्त-स, वाणिज्यिक, कर विभाग, अलवर, ब्यूरों कार्यालय में उपस्थित आये। उक्त दोनों गवाहान का पुनः आपसी परिचय कार्यालय में पूर्व से मौजूद परिवादी श्री अतुल सिंह एवं परिवादी के दोस्त श्री अवधेश चौहान से करवाया गया और ब्यूरो द्वारा की गई अब तक की कार्यवाही के बारे में अवगत कराकर उक्त दोनों गवाहान को परिवादी श्री अतुल सिंह द्वारा आज दिनांक 13.12.2024 को ब्यूरों में प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र पढवाया जाकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की सहमति चाही गई, जिस पर उक्त दोनों गवाहान ने सुन समझकर कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह रहने की अपनी-अपनी सहमति प्रदान की तथा परिवादी श्री अतुल सिंह द्वारा ब्यूरो में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर दोनों गवाहान ने अपने-अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात वक्त करीब 4.00 पीएम पर गवाह श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्री लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक एवं परिवादी श्री अतुल सिंह, परिवादी के दोस्त श्री अवधेश चौहान के समक्ष परिवादी, परिवादी के दोस्त श्री अवधेश चौहान एवं संदिग्ध आरोपी श्री नवरतन, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना अरावली विहार, अलवर के मध्य दिनांक 29.06.2024 को रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई वार्ताओं के रिकार्डशुदा डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय की आलमारी का लॉक खोलकर बाहर निकालकर उसे विभागीय लैपटॉप में जोडकर चालूकर, दिनांक 01.07.2024 को बनाई गई फर्द ट्रांसक्रिप्ट से मिलान कराया गया तो वार्ता रूपान्तरण को दोनो गवाहान तथा परिवादी व परिवादी के दोस्त श्री अवधेश चौहान ने सही होना स्वीकार किया। उक्त कार्यवाही मे उपयोग लिये गये उक्त डिजीटल वॉइस रिकॉर्डर मे लगे एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के फोल्डर नं. 01 मे दिनांक 29.06.2024 को परिवादीगण व आरोपी नवरतन एएसआई के मध्य रिश्वत मांग सत्यापन के समय हुई रूबरू वार्ता रिकार्ड की हुई है, उक्त एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB को सुरक्षित हालात मे यथावत उक्त वॉइस रिकार्डर से निकाल कर उसे एक सफेद कागज की चिट जिस पर सभी संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर उसे, एस.डी. मैमोरी कार्ड Sandisk 32 GB के साथ एक खाली माचिस की डिब्बी मे सुरक्षित रखा गया एवं उक्त माचिस की डिब्बी को एक सफेद कपडे की थैली मे सुरक्षित हालात मे रखकर थैली को सील्डचिट कर उस पर मार्क S अंकित कर वजह सबूत कब्जे ए0सी0बी0 लिया गया। उक्त प्रक्रिया से डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड शुदा वार्ता में किसी भी प्रकार की छेडछाड एवं कांट-छांट नही की गई है। जिसकी पृथक से फर्द जब्ती एसडी कार्ड रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, दिनांक 29.06.2024 तैयार कर शामिल पत्रावली की गई तथा सिल्डषुदा एसडी कार्ड मार्क S को मालखाना प्रभारी श्री भास्कर, हैड कानि0 59 को सुपुर्द कर जमा चौकी मालखाना करवाया गया। तत्पश्चात वक्त करीब 4.30 पी.एम पर गवाह श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक एवं श्री लोकेश वर्मा, वरिष्ठ सहायक के समक्ष मन् उप अधीक्षक पुलिस ने दिनांक 01.07.2024 को दोनों गवाहान के समक्ष परिवादी श्री अतुल सिंह की पहनी हुई पेन्ट की बगल की दाहिनी जेब में रखी हुई पाऊडर युक्त राशी 10,000 रूपये को श्री सुण्डाराम हैड कानि0 02 से निकलवाकर उक्त राशी को एक सफेद कागज के लिफाफे में रखवाकर, कार्यालय की आलमारी के लॉक में सुरक्षित रखवाई गई थी को श्री भास्कर हैड कानि0 59 को कार्यालय कक्ष में बुलाकर श्री भास्कर, हैड कानि0 से पाउडर युक्त राशी 500-500 रूपये के 20 नम्बरी नोट कुल 10,000/-रूपये को लिफाफा सहित कार्यालय की आलमारी से निकलवाकर गवाह श्री मनोज कुमार को दिलाकर दिनांक 01.07.2024 को बनाई गई फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से दोनो गवाहान से नोटों के नम्बर मिलान करवाया गया गया तो हुबहू होना बताया। तत्पश्चात उन्हें फिनोफ्थलीन पाउडर मुक्त कर परिवादी श्री अतुल सिंह को उनके दोस्त श्री अवधेश चौहान की उपस्थिति में वापस लोटाया जाकर प्राप्ती रसीद प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गई, ताबाद परिवादी श्री अतुल सिंह व उसके दोस्त श्री अवधेश चौहान तथा स्वतंत्र गवाहान श्री मनोज कुमार, वरिष्ठ सहायक, वृत्त-स, वाणिज्यिक, कर विभाग, अलवर एवं श्री लोकेश कुमार वर्मा, वरिष्ठ सहायक, वृत्त-स, वाणिज्यिक, कर विभाग, अलवर को बाद हिदायत कार्यालय से रूकसत किया गया। उपरोक्त की गई समस्त कार्यवाही एवं मौके के हालात से पाया गया की परिवादी श्री अतुल सिंह पुत्र श्री मुकेश सिंह, जाति राजपूत, उम्र 25 साल, निवासी ग्राम बिलोद, तहसील व थाना कॉमा, जिला डीग की लिखित रिपोर्ट, फर्द ट्रांसक्रिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 29.06.2024 एवं की गई समस्त कार्यवाही से नवरतन ब्राह्माण, सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं अवैध आचरण अपनाकर स्वयं के लिये परिवादी श्री अतुल सिंह से उसके दोस्त श्री अवधेश चौहान की उपस्थिति में पुलिस थाना अरावली विहार अलवर में लडाई झगडे की शिकायत में परिवादी व परिवादी के साथी सुक्खू को मुल्जिम नहीं बनाने व उक्त शिकायत/परिवाद में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने की एबज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 29.06.2024 को 10,000/-रूपये रिश्वत राशी की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया है । अतः श्री नवरतन ब्राह्माण पुत्र श्री नवल किशोर ब्राह्माण निवासी ग्राम व पोस्ट सकट तह0 राजगढ थाना टहला जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर द्वारा लोक सेवक होते हुये अपने वैद्य पारिश्रमिक के अलावा पदीय कार्य करने में भ्रष्ट एवं

अवैध आचरण अपनाकर स्वयं के लिये परिवादी श्री अतुल सिंह से उसके दोस्त श्री अवधेश चौहान की उपस्थिति में पुलिस थाना अरावली विहार अलवर में लडाई झगडे की शिकायत में परिवादी व परिवादी के साथी सुक्खू को मुल्जिम नहीं बनाने व उक्त शिकायत/परिवाद में उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं करने की एबज में वक्त रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 29.06.2024 को 10,000/-रूपये रिश्वत राशी की मांग करना स्पष्ट रूप से पाया गया है, अतः आरोपी श्री नवरतन ब्राह्माण पुत्र श्री नवल किशोर ब्राह्माण निवासी ग्राम व पोस्ट सकट तह0 राजगढ थाना टहला जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में प्रथम दृष्टया बनना पाया जाता है। अतः प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन प्रेषित है। भवदीय (महेन्द्र कुमार) उप अधीक्षक पुलिस, भ्रनिब्यूरो, अलवर।.....कार्यवाही पुलिस..... प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री महेन्द्र कुमार, उप अधींक्षक पुलिस,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर प्रथम अलवर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अर्न्तगत धारा 7 पीसी एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री नवरतन ब्राह्माण पुत्र श्री नवल किशोर ब्राह्माण निवासी ग्राम व पोस्ट सकट तह0 राजगढ थाना टहला जिला अलवर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना अरावली विहार जिला अलवर के विरूद्ध पंजिबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियॉं नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री परमेश्वर लाल , उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भिवाड़ी को मनोनीत किया गया है उक्त की रोजनामचा आम रिपोर्ट 483 पर अंकित है।(ज्ञान सिंह चौधरी) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 75-78 दिनांक 28-01-2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित है:-1-विशिष्ट न्यायधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, अलवर। 2-पुलिस अधीक्षक, जिला अलवर। 3-उप महानिरीक्षक पुलिस-चतुर्थ भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर। 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अलवर -प्रथम अलवर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

**(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम ):** PARAMESHWAR LAL YADAV **Rank (पद):** उप अधीक्षक पुलिस/पुलिस उपाधीक्षक **or (या)**

**No(सं.):** **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

**or (के कारण इंकार किया, या)**

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

**on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .**

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

**(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)**

**R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)**

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

**Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)**

Signed by: Gyan Singh Choudhary
Location: Rajasthan,IN
Date: 2[illegible]/2025 1[illegible]9

**Name(नाम):** GYAN SINGH CHOUDHARY

**Rank (पद):** SP (Superintendant of Police)

**No(सं.):**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

**Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):**

**Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen )**
**(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))**

| S.No.(क्र.सं.) | Sex (लिंग) | Date/Year of Birth ( जन्म तिथि / वर्ष) | Build (बनावट) | Height(cms.) (कद(से.मी)) | Complexion (रंग ) | Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Male | 01/07/1975 | | | | |

| Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ) | Teeth (दाँत) | Hair (बाल) | Eyes (आँखें) | Habit(s) (आदतें) | Dress Habit(s) (पहनावा) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | | | | | |

| Language /Dialect (भाषा /बोली) | Place Of(का स्थान) | | | | | Others (अन्य) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Burn Mark (जले हुए का निशान) | Leucoderma (धवल रोग ) | Mole (मस्सा) | Scar (घाव) | Tattoo (गूदे हुए का) | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| | | | | | | |

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
**(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)**